बस्तर विश्वविद्यालय,
जगदलपुर

कार्यपरिषद

की 12वीं बैठक

दिनांक 09-08-2014 के कार्यवृत्त

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 239037

जगदलपुर दिनॉक 26/09/2014

क्रमांक /190/ब.वि.वि./2014

प्रति,

समस्त सम्मानीय सदस्य
(कार्य परिषद)
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)

विषयः– बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 के कार्यवृत्त प्रेषण के सबंध मे।

———000———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि बस्तर विश्वविद्यालय जगलदपुर के आपाती कार्य परिषद बैठक दिनांक 09.08.2014 को सम्पन्न हुई। बैठक में हुई चर्चा एवं निर्णय की विस्तृत कार्यवृत्त आपकी ओर सादर प्रेषित की जा रही है।

उपकुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
दिनांक ....

पृ. क्रमांक / /ब.वि.वि./2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर संभाग जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)
4. कुलपति के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
5. कुलसचिव के निज सचिव की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA JAGDALPUR
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

क्र.1341/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर, दिनांक 09/08/2014

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 के कार्यवृत्त :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

01.	प्रोफेसर एन.डी.आर. चन्द्र	–	अध्यक्ष
02.	श्री फादर टी.जे. पॉल,	–	सदस्य
03.	मान. संतोष बाफना, विधायक जगदलपुर	–	सदस्य
04.	मान. लखेश्वर बघेल, विधायक, बस्तर	–	सदस्य
05.	श्री एम.एल. लखनपाल	–	सदस्य
06.	श्रीमती रश्मि शुक्ला,	–	सदस्य
07.	डॉ. जी.पी. खरे,	–	सदस्य
08.	डॉ. सी.आर. पटेल,	–	सदस्य
09.	डॉ. एस.के. पाण्डेय	–	सदस्य
10.	श्री आई.पी. तिवारी	–	सदस्य
11.	डॉ. इन्दु अनन्त, कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 को संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया:–

विषय क्र. 01 – छात्र संघ चुनाव संबंधी अध्यादेश क्र. 01 एवं 02 का अनुमोदन।

निणर्य:– उपरोक्त विषय के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानकारी दी गई कि दिनांक 12.08.2014 को राजभवन रायपुर में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में छात्र संघ चुनाव संबंधी अध्यादेश क्र.1 एवं 02 पर अंतिम निर्णय होना है। यह ड्राफ्ट आर्डिनेन्स मान. कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ रखा गया है। माननीय सदस्य चाहें तो अपने सुझाव इस संबंध में दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि इस सत्र में छ.ग. राज्य के समस्त महाविद्यालयों में चाहे वह शासकीय हो अथवा निजी महाविद्यालय हों सभी महाविद्यालयों में छात्रसंघ का चुनाव होना है। माननीय कार्यपरिषद के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश क्र. 01 एवं 02 का अवलोकन किया तथा निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये:–

माननीय संतोष बाफना, विधायक जगदलपुर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि छात्र संघ चुनाव के पश्चात कम–से–कम 3 वर्ष के अंदर छात्र संघों का पुनरावलोकन होना चाहिये, कि महाविद्यालयों में गुंडा–गर्दी एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा या अकादमी वातावरण दूषित तो नहीं हो रहा है, इसे भी देखना आवश्यक है।

मान. लखेश्वर बघेल, विधायक– बस्तर (छ.ग.) द्वारा मान. संतोष बाफना के सुझाव में अपनी सहमति व्यक्त किये।

continued..02

मान. सदस्य श्री जी.पी. खरे– द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पूर्व में जो पद्धति छात्र प्रतिनिधि चुनाव का था (जैसे– अंतिम वर्ष के छात्र अध्यक्ष, द्वितीय वर्ष के छात्र उपाध्याक्ष एवं प्रथम वर्ष का छात्र सचिव)उसी के अनुरूप में छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है।

उपर्युक्तनुसार सुझावों के साथ छात्रसंघ चुनाव हेतु प्रस्तुत अध्यादेश क्रं. 01 एवं 02 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा पारित अध्यादेश क्र. 01 एवं 02 के अनुरूप है, जिसे बस्तर विश्वविद्यालय अंगीकृत करती है।

मान. अध्यक्ष की अनुमति से टेबल एजेण्डा

विषय क्र. 02 बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014–15 में प्रारंभ होने वाले बी.एड. अध ययनशाला हेतु एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार 1+7 शिक्षकों की संविदा नियुक्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार दिनांक 28.02.2014 के परिणाम घोषित करने तथा नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में।

निर्णयः– उपरोक्त विषय पर विस्तृत विचारोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बी.एड़ हेतु संविदा शिक्षकों की नियुक्ति बाबत् आयोजित साक्षात्कार दिनांक 28.02.2014 में शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना आवश्यक है। चूंकि 14 अगस्त से बी.एड की कक्षाएं प्रारंभ होंगी इस कारण आरक्षण नियमों के अनुकूल अनारक्षित – 3 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के –01 पद का नियुक्ति पत्र जारी करते हुए शेष आरक्षित पदों को रिक्त रखा जावे तथा आवश्यकतानुसार उन पदों पर अतिथि शिक्षक मासिक आधार पर नियुक्त किया जावे ताकि छात्र/छात्राओं का किसी प्रकार से अहित ना हो। शासन से स्वीकृत पद अनुसार शीघ्रातिशीघ्र नियमित नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नियमानुसार एक माह के अंदर विज्ञापन जारी किया जावे। एन.सी.टी.ई. के अनुसार बी.एड. की सेटअप आवश्यकता को देखते हुए पत्र लिखे जाये एवं यदि कोई वेतन विसंगतियाँ हैं, तो उसे कुलसचिव शासन स्तर पर दूर ~~करें~~ करायें।

विषय क्र. 03 – बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर परिसर में हाउसिंग बोर्ड, जगदलपुर द्वारा नवनिर्मित कुलपति निवास, गैरेज तथा चार दीवारी, कुलसचिव निवास, गैरेज तथा चार दीवारी को विश्वविद्यालय को हस्तांतरण करने के संबंध में।

निर्णयः– उपरोक्त विषय पर विस्तृत चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की पूर्व बैठक में जो निर्णय लिये गये थे उसके अनुसार पहले कार्यवाही पूर्ण करें एवं गठित समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किया जाये एवं निर्णयानुसार जो राशि भुगतान हेतु शेष है का भुगतान शीघ्र किया जाये। साथ ही कुलपति आवास एवं कुलसचिव आवास जो कि विगत छः माह पहले निर्मित हो चुके हैं का विश्वविद्यालय को हस्तांतरण 30 दिन के अंदर करने हेतु गृहनिर्माण मण्डल से संपर्क कर कार्यवाही किया जाये। अतिरिक्त निर्माण राशि के संबंध में पत्र 3 दिन के अंदर शासन को प्रेषित किया जाये तथा पूर्व गठित तकनीकी समिति जांच उपरांत भवन की भौतिक सत्यापन करेगी एवं यदि कोई कमी है तो आवश्यक सुझाव देगी।

कुलपति,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
(छ0ग0)

कुलसचिव 05/8/2014
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
(छ0ग0)